जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक –जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 10 / डी– 1034   दिनांक– 12-8-10

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निरतारण समिति की 67वीं बैठक दिनांक 28.06.10 को प्रातः 10:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :

क्र. सं	जो. नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		67:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निरतारण समिति की आयोजित 66वीं बैठक दिनांक 31.05.10 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन एवं 52वीं से 66वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा	**I. 66वीं बैठक दिनांक 31.05.10:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निरतारण समिति की आयोजित 66वीं बैठक दिनांक 31.05.10 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। **II. 52वीं बैठक दिनांक 01.06.09:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निरतारण समिति की 52वीं बैठक दिनांक 1.6.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 52:6 श्री बंशीलाल व श्रीमति मीनाक्षी मल्होत्रा को क्रमशः भूखण्ड संख्या सी–128 व सी–129 प्रत्येक 162 वर्गमीटर आवंटित किये गये थे। दोनो भूखण्डों के पीछे की तरफ तिरछा होने के कारण क्रमशः 27 वर्गमीटर व 36 वर्गमीटर क्षेत्रफल बढ गया है। एलपीसी की बैठक दिनांक 25.07.08 में उक्त बढे हुए क्षेत्रफल को प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने बताया कि बढे हुये क्षेत्रफल को आरक्षित दर की दुगुनी कीमत पर लेने के संबंध में सहमति प्रदान करने हेतु आवंटियों को पत्र जारी किया गया था। किन्तु उनके द्वारा न तो राशि जमा करवाई गई है और न ही सहमति पत्र भिजवाया है। अतः प्रकरण राज्य सरकार को अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा–निर्देश प्रदान करने हेतु भिजवाया गया है। ii. प्रस्ताव संख्या 52:7(2) के संबन्ध में उपायुक्त जोन–1 ने बताया कि संस्थानिक क्षेत्र में विवादित भूखण्ड का कब्जा दिनांक 15.02.10 को लिया जा चुका है। इसके पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट पिटीशन सं. 2558/2010 में दिनांक 18.03.10 को यथा स्थिति (Status Quo) का आदेश दिया है। प्रकरण में आई.आई.एम.ई. द्वारा एक विविध प्रार्थना पत्र भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसका जवाब जविप्रा द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है।

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

III. 61वीं बैठक दिनांक 24.12.09:–

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 61वीं बैठक दिनांक 24.12.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

i. प्रस्ताव संख्या 61:11(1) नेशनल सोसायटी फॉर इंजिनियरिंग रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट जयपुर को सांईस टेक सिटी अचरोल में 30 एकड भूमि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आवंटन करने की अभिशंषा उक्त क्षेत्र की आरक्षित दर तय करने के पश्चात राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई गई है। उपायुक्त को पुनः स्मरण कराने के निर्देश दिये गये।

ii. प्रस्ताव संख्या 61:11(3) इंस्टीट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग एण्ड मैनेजमेन्ट ट्रस्ट कलकत्ता के संबंध में निर्णय लिया गया कि सांईस टेक सिटी अचरोल में 30 एकड भूमि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आवंटन करने की अभिशंषा उक्त क्षेत्र की आरक्षित दर तय करने के पश्चात् राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई गई है। उपायुक्त को पुनः स्मरण कराने के निर्देश दिये गये।

IV. 64वीं बैठक दिनांक 05.04.10:–

1. प्रस्ताव संख्या 64:8 इण्डोफ्रेंच कल्चरल सोसायटी को समिति द्वारा आवंटन की अभिशंषा के साथ आवंटन दर निर्धारित करने हेतु राज्य सरकार को प्रकरण भिजवाया गया है। प्रकरण की प्रगति से अवगत कराया जावे।
2. प्रस्ताव संख्या 64:10 रीको को ग्राम रामचन्द्रपुरा, विधाणी, जयसिंहपुरा एवं विमलपुरा में 4.12 हैक्टयर भूमि आवंटन का प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया है। उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार ने कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहा है। प्रकरण में वांछित सूचना राज्य सरकार को भिजवा दी गई है।
3. प्रस्ताव संख्या 64:11 जयपुर शहर में नई पुलिस लाईन हेतु खसरा नं. 201, 241, 247, 248, 249 व 250 में से 5.99 हैक्टयर भूमि ग्राम जोतड़ावाला तहसील सांगानेर में से 15000 वर्गमीटर भूमि योजना मानचित्र का पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को भिजवाया गया है।
4. प्रस्ताव संख्या 64:13(2) रामनगरिया विस्तार योजना में 17 गैलेण्ट्री अवार्ड धारको की सूची राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई गई है। प्रकरण की प्रगति से अवगत कराने के निर्देश उपायुक्त को दिये गये।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

V. 65वीं बैठक दिनांक 03.05.10:–

1. प्रस्ताव संख्या 65:3 अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिहीन एवं विकलांग संस्थान को ग्राम कानोता के खसरा नं. 624 में 2000 वर्गगज भूमि आवंटित की गई थी। यह जानकारी में आया है कि संस्था के संचालक राजकीय सेवा में है। ऐसी स्थिति में प्रकरण का परीक्षण अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) के स्तर पर किया जावे।
2. प्रस्ताव संख्या 65:4, 65:5, 65:6 में क्रमशः भारतीय सामाजिक विकास समिति, वियानी शिक्षण समिति, जयपुर, संजय शिक्षा समिति जयपुर के प्रकरणों में राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया है। प्रकरणों में प्रगति से आगामी बैठक में अवगत कराया जावे।
3. प्रस्ताव संख्या 65:7 जयपुर जेवियर एज्यूकेशनल सोसायटी के संबंध में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण की प्रगति से आगामी बैठक में अवगत कराया जावे।
4. प्रस्ताव संख्या 65:7(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को स्वेज फार्म में पेयजल सुविधा हेतु टंकी एवं हेंडवर्क्स बनाने के लिये जविप्रा की अनुमोदित योजना रूपविहार के सुविधा क्षेत्र में से 1500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त जोन–5 को प्रकरण में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट से शीघ्र अवगत कराने के निर्देश दिये गये।
5. प्रस्ताव संख्या 65:7(2) आर.के. यादव मेमोरियल सोसायटी को मानसिक रोग एवं नशा मुक्ति अस्पताल हेतु वैकल्पिक भूमि चिन्हिकरण हेतु उपायुक्त जोन–7 को निर्देशित किया गया। उपायुक्त ने बताया कि वांछित भूमि पर कई वर्षो से अतिक्रमण है एवं राजस्व रिकार्ड में सरकारी रास्ता उपलब्ध नहीं है। उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि वस्तुस्थिति से संस्था को सूचित करे।

VI. 66वीं बैठक दिनांक 31.05.10:–

1. प्रस्ताव संख्या 66:2 मोटर ड्राइवर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु ग्राम अचरोल में सृज्ति सांईसटेक सिटी में से 4.15 है0 भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन के संबंध में राज्य सरकार को दिनांक 23.06.10 को स्वीकृति हेतु लिखा गया है।
2. प्रस्ताव संख्या 66:5 के संबंध में माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय श्री भैरोसिंह शेखावत स्मृति स्थल के लिये विधाधरनगर स्टेडियम के पास सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये पूर्व में आरक्षित भूमि में से स्थित 5600 वर्गमीटर आरक्षित की गई भूमि की स्वीकृति के लिये प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया गया है।
3. प्रस्ताव संख्या 66:6 के संबंध में नारी चेतना समिति को एलपीसी की 64वीं बैठक दिनांक 05.04.10 को रामनगरिया योजना में 500 वर्गमीटर आवासीय आवंटित भूमि की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार दिनांक 22.06.10 को प्रेषित किया गया है, प्रगति से अवगत कराया जावे।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

4. प्रस्ताव संख्या 66:7 के संबंध में रघुकुल शोध एवं तकनीकी संस्थान को महिला कॉलेज हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया जाकर प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ भिजवाया गया है। प्रगति से अवगत करावे।

5. प्रस्ताव संख्या 66:7(2) के संबंध में श्री राजपूत सभा भवन को छात्रावास हेतु ग्राम श्री किशनपुरा में आवंटित 6000 वर्गमीटर भूमि के दर निर्धारण बाबत राज्य सरकार को लिखा गया है। पुनः स्मरण कराया जावे।

6. प्रस्ताव संख्या 66:7(3) के संबंध में एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड को भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया गया है।

7. प्रस्ताव संख्या 66:7(4) के संबंध में नेशनल हैल्थ इन्स्टीट्यूट एवं मेडिकल रिसर्च सेन्टर को सुभाष नगर, झोटवाडा रोड, जयपुर पर आवंटित भूमि 966.16 वर्गमीटर से लगती अतिरिक्त भूमि जो लगभग 34.40 वर्गमीटर है, के आवंटन की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त होना शेष है।

8. प्रस्ताव संख्या 66:7(6) भूखण्ड संख्या सी–252 गोविन्दपुरा करधनी का आवंटन श्रीमती अमीता चौधरी को दिनांक 09.06.97 को किया गया था। किन्तु उक्त भूखण्ड पर स्वामित्व संबंधी विवाद होने के कारण भौतिक कब्जा नहीं दिये जाने पर आवंटी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 1753/2010 दायर की। जिस पर श्रीमती अमीता चौधरी को एलपीसी की बैठक दिनांक 31.05.10 में भूखण्ड संख्या सी–252 के स्थान पर भूखण्ड संख्या डी–335 विनिमय में दिये जाने का निर्णय लिया जाकर भूखण्ड सं. सी–252 के मूल दस्तावेज एवं न्यायालय में दायर रिट याचिका वापस लेने हेतु लिखा गया है। जिसकी अनुपालना में आवंटी द्वारा मूल दस्तावेज जविप्रा में जमा करवा दिये गये है एवं रिट याचिका विड्रा करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.07.10 को प्रस्तुत कर दिया है।

9. प्रस्ताव संख्या 66:7(7) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम हेतु नॉलेज सिटी नॉर्थ में स्थित 18.16 है0 भूमि की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्ति हेतु पत्राचार किया जावे।

10. प्रस्ताव संख्या 66:7(8) श्री सुरेन्द्र कुमार गोलछा की भूमि खसरा नं. 1.1/194 रकबा 2 बिस्वा ग्राम मानपुर देवरी, तहसील जयपुर के प्रकरण पर पुन विचार करने के पश्चात ग्राम मानपुर देवरी की आवासीय आरक्षित दर के अनुपात में रामनगरिया आवासीय योजना की आवासीय आरक्षित दर से अवाप्त भूमि के बदले गणना करने पर जो क्षेत्रफल

उपा० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				आता है। उसे रामनगरिया आवासीय योजना में प्रस्तावानुसार उपलब्ध भूखण्डों में से आवंटन का निर्णय लिया गया। जोन–1 द्वारा पत्रावली जोन–3 को प्रेषित की जावे।
2.	12	67:2	भूखण्ड संख्या सी–126 स्वप्न लोक योजना क्षेत्रफल 220.00 व.मी. का क्षेत्रफल बढकर 260.00 वर्गमीटर हो जाने के कारण अन्य भूखण्ड विनिमय में दिये जाने बाबत।	भूखण्ड संख्या सी–126 के स्थान पर भूखण्ड संख्या सी–197 व सी–202 में से लॉटरी द्वारा एक भूखण्ड समान माप का विनिमय करने का निर्णय लिया गया। भूखण्ड संख्या सी–126 को निलाम करने की कार्यवाही की जावे।
3.	12	67:3	भूखण्ड संख्या डी–142 आनंद लोक योजना क्षेत्रफल 45.00 व.मी. का क्षेत्रफल बढ़कर 65.62 वर्गमीटर हो जाने के कारण अन्य भूखण्ड विनिमय में दिये जाने बाबत।	प्रस्तावानुसार उपलब्ध समान माप के भूखण्डो में से लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
4.	14	67:4	पार्थ नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या बी–327 के बढ़े हुये क्षेत्रफल 18.00 व.मी. का आवंटन करने बाबत।	बढे हुए क्षेत्रफल 18 वर्गमीटर को जोन की आवासीय आरक्षित दर की दुगनी दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
5.	7	67:5	भूखण्ड सं. ए–122 गोविन्दपुरा करघनी के विनिमय में भूखण्ड सं. ए–402 गोविन्दपुरा करघनी दिये जाने बाबत।	प्रस्तावानुसार विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
6.	14	67:7	सालिगरामपुरा योजना में भूखण्ड संख्या बी–105 के बढे हुए क्षेत्रफल का आवंटन एवं दर तय करने बाबत।	भूखण्ड संख्या बी–105 के बढे हुए 62.40 वर्गमीटर क्षेत्रफल को आवासीय आरक्षित दर की दुगनी दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
7.	13	67:8	थाना चौमू के आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम चौमू के खसरा नं. 6859 में से 1500 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ भिजवाया जावे।

आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–

1.	8	67:8(1)	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना ग्राम गोविन्दपुरा/सांगानेर में पाकिस्तान से आये हिन्दू व्यक्तियों/ परिवारों को भूखण्ड आवंटन कर पुर्नवास करने बाबत।	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना ग्राम गोविन्दपुरा/सांगानेर में पाकिस्तान से आये हिन्दू व्यक्तियों/परिवारों को भूखण्ड आवंटन कर पुनर्वास करने बाबत उप शासन सचिव–द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.–3( )नविवि/3/06 दिनांक 19.11.08 व दिनांक 27.10.09 एवं विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 21.04.10 द्वारा 90 व्यक्तियों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.–3(66)नविवि/3/09/पार्ट–10 दिनांक 11.06.10 द्वारा नगरीय विकास विभाग की स्वीकृति क्रमांक प.–3( )नविवि/3/06 दिनांक 30.04.08 के अनुसार एवं प्राधिकरण के प्रस्तावानुसार पूर्व की भांति पाकिस्तान से आये हिन्दू व्यक्तियों/परिवारों को पुर्नवास करने के लिये 90 वर्गमीटर के कुल 90 भूखण्ड मय सूची

अति. आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। पाकिस्तान से विस्थापित हिन्दू व्यक्तियों/परिवारों को पुर्नवासित करने हेतु जविप्रा की गोविन्दपुरा/सांगानेर की आवासीय योजना में पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक दिनांक 29.01.10 में आरक्षित भूमि में से 90 भूखण्ड 90 वर्गमीटर की माप के सृजित किये गये है। अतः गृह मन्त्रालय से भारतीय नागरिकता व पात्रता की जांच की शर्त पर आवासीय आरक्षित दर की 60 प्रतिशत राशि पर विस्थापितो की सहमति अनुसार आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
2.	7	67:8(2)	अजमेर रोड पुलिया को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चौडा करने से प्रभावित दुकान सं. 1 ग्राम सुशीलपुरा के मालिक को चित्रकुट योजना में व्यावसायिक भूखण्ड सं. 59 को आवंटन प्रार्थी श्री अनवर खान पुत्र करीम खान।	अजमेर रोड पुलिया को चौडा करने से समाप्त हुई दुकानों को प्रभावित हुए व्यक्तियों को प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति समिति की 13वीं बैठक दिनांक 27.11.04 में लिये गये निर्णय अनुसार चित्रकूट योजना में व्यावसायिक भूखण्ड/दुकाने आंवटित की गई थी। इन प्रभावित व्यक्तियों में से चित्रकूट योजना के सैक्टर 8 में भूखण्ड संख्या 59 आकार 3X4.5 मीटर का आवंटन अजमैर रोड पुलिया की चौडाई बढाने से प्रभावित दुकान संख्या 1 ग्राम सुशीलपुरा के बदले में श्री जैकी मोहम्मद द्वारा मांगी गई राशि रूपये 1,53,079/– चालान संख्या 44769 दिनांक 25.04.05 द्वारा जमा करा दिये गये। उक्त आवंटन के विरूद्ध श्री अनवर खान पुत्र श्री करीम खान द्वारा एक वाद संख्या 47/2005 माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकरण में दायर किया गया। माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकरण द्वारा उक्त दायर वाद में निर्णय दिनांक 16.04.08 में आदेश प्रदान किया गया कि " विपक्षी संख्या 1 को निर्देश दिया जाता है कि प्रार्थी के भूखण्ड व दुकान अजमेर पुलिया में अवाप्ति करने के फलस्वरूप उसे उचित मात्रा का भूखण्ड व्यवसाय समाप्त होने के आधार पर आवंटित करे तथा ऐसा करने से पहले इस बात की सम्यक जांच करे कि व्यवसाय प्रार्थी के स्वयं का था या अप्रार्थी संख्या 2 मोहम्मद जैकी किरायेदार का था तथा वास्तविक रूप से जिसका व्यवसाय था, उसे ही भूखण्ड दे, तब तक अप्रार्थी संख्या 2 को भूखण्ड संख्या 59 चित्रकूट ना तो आवंटित करे ना कब्जा दे।" न्यायालय की निर्णय की पालना में प्रकरण में उपायुक्त जोन–5 द्वारा जांच करवाई गई एवं विधिक राय भी प्राप्त की गई जिसके अनुसार श्री अनवर खान को उक्त दुकान का मालिक एवं व्यवसायी माना गया है। समिति ने विचार–विमर्श कर श्री जैकी मोहम्मद के स्थान पर अनवर खान को चित्रकूट योजना में व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 59 क्षेत्रफल 3X4.5 मीटर तत्कालीन आरक्षित व्यवसायिक दर 3300/– रू प्रति वर्गमीटर से आवंटन का निर्णय लिया गया। जैकी मोहम्मद द्वारा जमा कराई गई राशि उसे वापस लौटाई जावे।
3.	9	67:8(3)	जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 को भूमि आवंटन बाबत।	जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 को सोडाला थाने हेतु दी गई 1579 वर्गमीटर भूमि के बदले 3158 वर्गमीटर भूमि मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 17.06.09 में निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। निगम को 650 वर्गमीटर भूमि स्वेज फार्म में व 1000 वर्गमीटर भूमि महल योजना के बी–ब्लॉक में आवंटित की जा चुकी है। शेष 1508 वर्गमीटर भूमि निजी खातेदारी योजना दक्षिणपुरी फेज प्रथम के सुविधा क्षेत्र व जविप्रा खाते की भूमि खसरा नं. 649/971 ग्राम श्रीकिशनपुरा में निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया

उप आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				गया। गुर्जर की थडी क्षेत्र मे जवीवीएनएल को आवंटित भूमि जविप्रा के पक्ष में समर्पित करने के पूर्व निर्णय की पालना कराने का भी निर्णय लिया गया।
4.	14	67:8(4)	देव एज्यूकेशन सोसायटी को विश्वविद्यालय हेतु ग्राम बीलवा में भूमि आवंटन बाबत।	संस्था के द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। संस्था ग्राम बीलवा के खसरा नं 2035 में 16.81 है0 भूमि आवंटन चाहती है। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर देव विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु देव एज्यूकेशन सोसायटी को ग्राम चित्तौडा स्थित नॉलेज सिटी साउथ में से 30 एकड़ भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया। संस्था की सहमति प्राप्त कर प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।
5.	11	67:8(5)	सेज क्षेत्र में थाना स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	पुलिस अधीक्षक जिला जयपुर ग्रामीण को सेज योजना में ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर में 7417 वर्गमीटर आरक्षित भूमि में से 3000 वर्गमीटर भूमि थाना स्थापित करने हेतु कार्यालय एवं पुलिस कर्मियों के आवास निर्माण हेतु आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
6.	12	67:8(6)	आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाईजेशन को भूमि आवंटन बाबत।	प्रस्तावानुसार ग्राम बोयतावाला तहसील जयपुर के खसरा नं. 21/166 में से रकबा 44510 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर भू–उपान्तरण की प्रत्याशा में आवंटन का निर्णय लिया गया। प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ भिजवाया जावे।

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
3. जिला कलक्टर, जयपुर
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
8. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
9. निदेशक(वित्त/अभि0/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
10. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/प्रशासन/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
11. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
12. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
13. जन सम्पर्क विशेषाधिकारी, जविप्रा, जयपुर
14. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 67वी बैठक दिनांक 28.06.10 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री सुधांश पंत, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमती गायत्री राठौड, सचिव	सदस्य
3.	श्री डी.सी. जबडा निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्रीमती शुचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन एवं एलपीसी)	सदस्य सचिव
5.	श्रीमती दुर्गा जोशी, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
6.	श्री ललित शर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता	सदस्य प्रतिनिधी
7.	श्री पी. अरविन्द, एस.टी.पी. (एम.पी.)	विशेष आमंत्रित
8.	श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–2	विशेष आमंत्रित
9.	श्री गीरीश पारासर, उपायुक्त जोन–5	विशेष आमंत्रित
10.	श्री एस मित्रा, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
11.	श्री ह्रदेश कुमार शर्मा, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
12.	श्री अनिल अग्रवाल, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
13.	श्री पुरूषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
14.	श्री पी.सी. शर्मा, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
15.	श्री संजय जैन, उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित